न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 152/2012

1 शिशपाल पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। मृतक
1/1 चन्द्रावली देवी पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 सुमित्रा पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/3 रोहिताश पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/4 ओविन्द्रकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/5 करणीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 सिणगारी पत्नी श्री मोतीराम जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मु. सोनकी उर्फ ढुकली पुत्र मोतीराम पत्नी जयकरण जाति जाट निवासी सोटवारा जिला झुन्झुनूं।
2 योगेन्द्र पुत्र रामकुमार दोयता मोतीराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 रामदेवा पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 मुकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी राणासर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिता पुत्री राजकुमार पत्नी दिपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ढाका का बास तन भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 बिमला पुत्री रामकुमार पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी पनिया की ढाणी तन भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 सुमन पुत्री रामकुमार पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
8 सांवलराम पुत्र गुटु जाति जाट निवासी दुदाना का बास तन डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
बउनवानी श्योनकी बनाम शिशपाल दावा
संख्या 91/2003 निर्णय डिक्री दिनांक 17.09.2012

उपस्थिति :
1. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने एक वाद घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन भूमि तथा लगान बाबत भूमि खसरा नम्बर 85, 35 वाके ग्राम बास डुडाना तन डूमरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि सिणगारी को मिली सम्पति की वह पूर्णस्वामिनी (एक्सूलूट ऑनर) है। जिसमें अपने हिस्से को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय वाद डिक्री कर गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। स्व. मोतीराम की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए 2005 में संशोधन से पूर्व ही हो चुकी थी 2005 से पूर्व पुत्रियों को सहदायगी नहीं माना था इसलिए उसके पुत्रों के बराबर कोई हिस्सा नहीं था तथा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक पुत्रो को जन्म के साथ ही सहदायगी सम्पति में हित निहित हो जाता था लेकिन इस बिन्दू पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही करके गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पुत्रियों को बराबर 1/5 हिस्सा की अधिकारी उद्घोषित कर गलत निर्णय पारित किया है। भूमि पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 मौके पर 2/3 हिस्से पर काबिज है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 हिस्से पर काबिज है व अन्य का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है यह तथ्य पत्रावली पर प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने विचारण न्यायालय में बेदखली की सहायता नहीं चाही है लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री कर गलत निर्णय पारित किया है अतः उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में व तनकीयात संख्या 4 व 5 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध कर गलत निर्णय किया है अतः उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने एक वाद घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन भूमि तथा लगान बाबत भूमि खसरा नम्बर 85, 35 वाके ग्राम बास डुडाना तन डूमरा का पेश किया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कुल 5 तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नकल जमाबंदी ग्राम दूदाना का बास संवत 2055 से 2058 में भूमि खसरा नम्बर 85/2.71 है. की खातेदारी शिशपाल रामदेवाराम पुत्र मोतीराम मु. सिणगारी बेवा मोतीराम जाति जाट हि.ब.सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 35/0.90 है. की खातेदारी मोतीराम धना 1/2 हि. मोहन पिता राजू हि. 1/4 दर. हि. 1/2 नोरंगराम सावंलराम पिता गुटू व भूरी बेवा गुटू हि. 1/4 दर हि. 1/2 जीता पिता धनाराम हि. 1/4 दर हि. 1/2 कुरडाराम पिता भूराराम व लिछमी बेवा भूराराम हि. 1/4 दर हि. 1/4 जाट निवासी ग्राम खातेदार जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 52 मोतीराम के फौतगी पर मोतीराम की बजाय शिशपाल रामदेवाराम पुत्र मोतीराम मु. सिणगारी बेवा मोतीराम हि. 1/2 स्वीकार हुआ तथा नामा. संख्या 54 दिनांक 03.06.2000 के द्वारा भूरी बेवा गुटू फौत की बजाय नोरंगराम सांवलराम पिता गुटू का नाम स्वीकार हुआ। नामा. सं. 58 के द्वारा वि.प. मोहन 1/8, नोरंगराम 1/16, जीता 1/8, कुरडा व लिछमी हि. 1/8 शिशपाल मोतीराम को विक्रय कर दिया है अतः इनके स्थान पर खातेदारी शिशपाल पु. मोतीराम हिस्सा 7/16 स्वीकृत बाकी हिस्सा बदस्तूर होना दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत एक विक्रय पत्र जो दिनांक 28.06.2003 को सिणगारी बेवा मोतीराम द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 85/2.71 का 1/3 हिस्सा तथा भूमि खसरा नम्बर 35/0.90 है. हिस्सा 1/2 मे से 1/3 हिस्सा अपने पुत्र शिशपाल पुत्र मोतीराम को विक्रय किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित वंशावली के अनुसार मोतीराम के दो लड़के तथा दो लड़कियां होने का कथन किया है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार स्व. मोतीराम के खातेदारी में मोतीराम के वारिसान पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी का समान रूप से खातेदारी का हक अधिकार बनता है। मोतीराम की मृत्यु उपरान्त केवल नामा. निर्णित उसके दो पुत्र तथा पत्नी के नाम ही दर्ज रिकार्ड होकर तीनों प्रत्येक को 1/3–1/3 की खातेदारी मिली। मोतीराम की पुत्रियों द्वारा अपना हक हिस्से की खातेदारी का वाद

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पेश किया गया है। इस प्रकार उसकी पुत्रियों को भी अपने पिता की खातेदारी में हिस्सा लेने का हक अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने एक वाद घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन भूमि तथा लगान बाबत भूमि खसरा नम्बर 85, 35 वाके ग्राम बास डुडाना तन डूमरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कुल 5 तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नकल जमाबंदी ग्राम दूदाना का बास संवत 2055 से 2058 में भूमि खसरा नम्बर 85/2.71 है. की खातेदारी शिशपाल रामदेवाराम पुत्र मोतीराम मु. सिणगारी बेवा मोतीराम जाति जाट हि.ब.सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 35/0.90 है. की खातेदारी मोतीराम धना 1/2 हि. मोहन पिता राजू हि. 1/4 दर. हि. 1/2 नोरंगराम सावंलराम पिता गुटू व भूरी बेवा गुटू हि. 1/4 दर हि. 1/2 जीता पिता धनाराम हि. 1/4 दर हि. 1/2 कुरडाराम पिता भूराराम व लिछमी बेवा भूराराम हि. 1/4 दर हि. 1/4 जाट निवासी ग्राम खातेदार जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 52 मोतीराम के फौतगी पर मोतीराम की बजाय शिशपाल रामदेवाराम पुत्र मोतीराम मु. सिणगारी बेवा मोतीराम हि. 1/2 स्वीकार हुआ तथा नामा. संख्या 54 दिनांक 03.06.2000 के द्वारा भूरी बेवा गुटू फौत की बजाय नोरंगराम सांवलराम पिता गुटू का नाम स्वीकार हुआ। नामा. सं. 58 के द्वारा वि.प. मोहन 1/8, नोरंगराम 1/16, जीता 1/8, कुरडा व लिछमी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हि. 1/8 शिशपाल मोतीराम को विक्रय कर दिया है अतः इनके स्थान पर खातेदारी शिशपाल पु. मोतीराम हिस्सा 7/16 स्वीकृत बाकी हिस्सा बदस्तूर होना दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत एक विक्रय पत्र जो दिनांक 28.06.2003 को सिणगारी बेवा मोतीराम द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 85/2.71 का 1/3 हिस्सा तथा भूमि खसरा नम्बर 35/0.90 है. हिस्सा 1/2 मे से 1/3 हिस्सा अपने पुत्र शिशपाल पुत्र मोतीराम को विक्रय किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित वंशावली के अनुसार मोतीराम के दो लड़के तथा दो लड़कियां होने का कथन किया है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार स्व. मोतीराम के खातेदारी में मोतीराम के वारिसान पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी का समान रूप से खातेदारी का हक अधिकार बनता है। मोतीराम की मृत्यु उपरान्त केवल नामा. निर्णित उसके दो पुत्र तथा पत्नी के नाम ही दर्ज रिकार्ड होकर तीनों प्रत्येक को 1/3–1/3 की खातेदारी मिली। मोतीराम की पुत्रियों द्वारा अपना हक हिस्से की खातेदारी का वाद पेश किया गया है। इस प्रकार उसकी पुत्रियों को भी अपने पिता की खातेदारी में हिस्सा लेने का हक अधिकार प्राप्त है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर